NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No :149/NCRES/20 दिनांक 4.8.2020

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये झांसी मंडल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किया जाना।

संदर्भ :– (1) NCRES का पत्र दिनांक 12.2.2020
(2) NCRES का पत्र दिनांक 26.5.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, प्रधान कार्यालय से जारी आदेश दिनांक 31.1.2020 के बाद LARSGESS के तहत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये झांसी मंडल के केवल 23 लोगो को नियुक्ति प्रदान किया गया, शेष को नियुक्ति नही प्रदान किया गया। इस सम्बन्ध में NCRES ने अपने पत्र दिनांक 12.2.2020 द्वारा PCPO से अनुरोध किया कि LARSGESS के तहत दिनांक 27.10.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये श्री नीरज कुमार पुत्र श्री आत्माराम के साथ–साथ झांसी मण्डल के शेष बचे हुये अन्य अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाय, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई जिसके कारण श्री आत्मा राम दिनांक 29.2.2020 को सेवानिवृति हो गये और उनके पुत्र श्री नीरज कुमार को नियुक्ति नही मिल पाई।

इसके बाद NCRES ने अपने पत्र दिनांक 26.5.2020 द्वारा PCPO से अनुरोध किया कि LARSGESS के तहत दिनांक 27.10.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट घोषित की गई कु0 मोहिनी कुशवाहा पुत्री श्री गणेश के साथ–साथ झांसी मंडल के शेष बचे हुये अन्य अभ्यर्थियों को दिनांक 31.5.2020 के पहले नियुक्ति प्रदान किया जाय, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई जिसके कारण कु0 मोहिनी के पिता श्री गणेश दिनांक 31.5.2020 को सेवानिवृत हो गये और उनकी पुत्री कु0 मोहिनी को नियुक्ति नही मिल पाई।

इसके बाद NCRES ने पुनः PCPO से अनुरोध किया कि LARSGESS के तहत दिनांक 27.10.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये श्री सत्यनारायण पुत्र श्री राजा राम और कु. रानी पुत्री श्री प्रहलाद के साथ–साथ झांसी मण्डल के अन्य शेष बचे सभी अभ्यर्थियों को दिनांक

30.6.2020 के पहले नियुक्ति प्रदान किया जाय, लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई जिसके कारण श्री सत्यनारायण के पिता श्री राजाराम दिनांक 30.6.2020 को सेवानिवृति हो गये और उनके पुत्र श्री सत्य नारायण को नियुक्ति नही मिल पाई।

दिनांक 8.7.2020 को आपसे मिलकर NCRES ने अवगत कराया कि LARSGESS के अन्तर्गत 27.10.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये झांसी मण्डल के शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नही किया जा रहा जिसके कारण कर्मचारी सेवानिवृति होते जा रहे है, तब आपने कहा कि LARSGESS के तहत जो अभ्यर्थी दिनांक 27.10.2017 के पूव मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये है, उसकी जांच कराकर, उन्हे नियुक्ति प्रदान किया जायेगा, और इसके बाद आपने कार्मिक विभाग को निर्देश दिया कि LARSGESS के तहत दिनांक 27.10.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये अभ्यर्भियों के कागजात की जांच कराकर उन्हे नियुक्ति प्रदान किया जाय, लेकिन खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि पूर्व के समान कोई कार्यवाही नही की गई और कु0 रानी के पिता श्री प्रहलाद भी दिनांक 31.7.2020 को सेवानिवृत हो गये जिसके कारण उनकी पुत्री कु0 रानी को नियुक्ति नही मिल पाई।

LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये अभ्यर्थियों को केवल आपसे ही उम्मीद है, इसलिये NCRES का अनुरोध है कि LARSGESS के तहत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये झांसी मंडल के शेष बचे अभ्यर्थियों के साथ–साथ श्री नीरज कुमार पुत्र श्री आत्माराम, कु. मोहिनी कुशवाहा पुत्री श्री गणेश, श्री सत्यनारायण पुत्र श्री राजा राम और कु. रानी पुत्री श्री प्रहलाद, जिनके पिता प्रधान कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.1.2020 के बाद सेवानिवृत हुये है, उन्हे नियुक्ति प्रदान करने के लिये उचित आदेश करने की कृपा करे।

धन्यवाद

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री